सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 24, गुरूवार, *शाके* 1947- अक्टूबर 16, 2025 Asvina 24, Thursday, Saka 1947- October 16, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 07, 2025

संख्या प. 4(22)कृषि/ग्रुप-2/2012 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 08.11.1967 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, जैतारण की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति, जैतारण द्वारा मण्डी क्षेत्र ग्राम बर मे फल-सब्जी गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम बर मे फल-सब्जी गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है जिसकी सीमाऐं निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व दिशा मे - ग्राम बर का मुरब्बा/खसरा नं. 1503/472 तक
पश्चिम दिशा मे - ग्राम बर का मुरब्बा/खसरा नं. 550/21, 471, 471/1 तक
उत्तर दिशा मे -ग्राम बर का मुरब्बा/खसरा नं. 550/6
दक्षिण दिशा मे - ग्राम बर का मुरब्बा/खसरा नं. 1503/472

फल-सब्जी गौण मण्डी यार्ड बर की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

स्नेह लता हारीत,
शासन उप सचिव।

9498

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।